न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राजीव द्विवेदी आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

क्रमांक संख्या – 71/2012(राजस्व वाद)

तारीख दायर – 13.8.2012
तारीख फैसल – 09-02-2021

अनवान

1– श्री मती बदी पत्नि भेमजी डामोर निवासी गडालालसिंह पूत्री श्री डाईया मीणा निवासी चतरपुरा हाल मुकाम चतरपुरा तहसील सागवाडा (फौत हो जाने से आदेश दिनांक 2.3.2015से नाम हटाया गया)
2– श्रीमती वाली पत्नि अमरा डामोर निवासी पादरा तहसील सागवाडा पुत्री श्री डाईया मीणा निवासी चतरपुरा हाल मु0 चतरपुरा तहसील सागवाडा
3– श्रीमती कनक पत्नि नाथू अहारी निवासी लिम्बोडबडी तहसील सागवाडा पुत्री श्री डाईया मीणा निवासी चतरपुरा हाल मुकाम चतरपुरा तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

1– श्री गला पिता भेमजी मीणा निवासी चतरपुरा
2– श्री पना पिता भेमजी मीणा निवासी चतरपुरा
3– श्री भेमजी पिता उदा मीणा निवासी चतरपुरा
4– श्रीमती गंगा पिता लखमा मीणा निवासी चतरपुरा
5–श्रीमती हाजू पिता लखमा मीणा निवासी चतरपुरा
6–श्रीमती केसर पिता लखमा मीणा निवासी चतरपुरा
7– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय सागवाडा

(प्रतिवादी)

वकील वादी – श्री चन्द्रशेखर शुक्ला
वकील प्रतिवादी – श्री कपील भट्ट

दावा अन्तर्गत धारा 125 सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट एवं धारा 53 ,88,188,209 राज0टि0एक्ट बाबत ईन्द्राजदुरूस्ती करने ,बंटवारा करने एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित पेढीनामा अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण एक ही परिवार से है।यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित जमाबन्दी ग्राम चतरपुरा संवत 2022 मे

Scanned by CamScanner

संख्या 17 के कुल 24 खेत रकबा 11बीघा 8 बिस्वा के स्थित है जिसमें वादी के पिता डाईया व उनके दोनो भाई लखमा व भेमजी कुल तीन खातेदार थे कि वादीगण के पिता डाया की मृत्यु हो जाने के पश्चात राजस्व अधिकारियों के द्वारा उन्हे सही तथ्य नही बताकर प्रतिवादी नं0 1 गला ने अपने पिता डाया का पूत्र बताते हुए एवं प्रतिवादी संख्या 2 पना ने लखमा का पुत्र बताते हुए खाते में 1/3 हिस्से पर अपना नाम दर्ज करा दिया जबकि वास्तव में वादीगण के कोई भाई नही है यानि कि डाईया के कोई पूत्र सन्तान नही है केवल दो पूत्रियां ही वादीगण है । यह कि वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा ओर प्रतिवादी संख्या 3 भेमजी का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ है जो गलत है । भेमजी के पूत्र प्रतिवादी संख्या 1 गला व प्रतिवादी संख्या 2 पना है एंव एक अन्य पूत्र भेमजी का हाजा है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री भेमजी की सन्तान होने से उनका खाते में से नाम हटाया जाना न्याय संगत है ।

यह कि मौके पर आये दिन विवाद होने से उक्त समस्त आराजीयात का विधिवत रूप से बंटवारा किया जाना आवश्यक है ।वादीगण अपने हिस्से की जमीन पर ओर अधिक काबिलकाश्त बनाने हेतु बैंक से लोन लेना चाहते हैं परन्तु संयुक्त खाते में नाम नही होने से वादीगण को परेशानी का सामना करना पड रहा है जिस वजह से बंटवारा में से 1/3 हिस्से पर वादीगण ,1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 3 एवं 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 4 ,5,व 6 का नाम जोडा जाकर तदनुसार ईन्द्राज दुरूस्त कर बंटवारा विधिवत करना निहायत ही न्यायसंगत है ।

यह कि वर्तमान में उक्त 1/3 हिस्से पर वादीगण ही काबिज है परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या1 का नाम गलत रूप से दर्ज हो जाने से वह आयेदिन विवाद करता रहता है ।

वादीगण द्वारा वाद समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए वाद पत्र के साथ दस्तावेज खतोनी जमाबन्दी सम्बत 2022 ग्राम चतरपुरा,नामान्तरकरण की नकल ,जमाबन्दी ग्राम चतरपुरा संवत 20631 से 2064 ,जमाबन्दी ग्राम चतरपुरा संवत 2065 की प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 23.12.2013को जवाब दावा मय प्रतिदावा के प्रस्तुत किया ।प्रतिदावा में दिनांक 10.5.1963 को चतरपुरा गाव के समाज के समस्त पंच के रूबरू प्रतिवादी नं01 गला को डायालाल ने गोद पूत्र रखा जिसकी लिखावट बही में की गई है एंव डायालाल उर्फ डाईया ने अपनी सम्पत्ति को प्रतिवादी नं01 को देने का कारण लिखावट बही में कर दी है ।

Scanned by CamScanner

नं01 ने डायालाल उर्फ डाईया के वहां पर करीब 40 वर्ष पूर्व गोद के रूप से प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति को हमेशा के लिए त्याग दिया है तथा रिवाज के अनुसार डायालाल के पूत्र के रूप में होने से 1/3 हिस्सें पर में दर्ज हुआ है । प्रतिदावा में यह भी उल्लेख किया है कि वादग्रस्त ीयात के 1/3 हिस्से पर 45–50 वर्षो से लगातार बिना किसी रोक टोक का होने से एवं एडवर्स पजेशन होने से वादीगण को कानूनन किसी प्रकार का ा पैदा करने का अधिकार नही है ।अतः वादीगण का वाद सव्यय खारीज जाने एवं प्रतिवाद बहक प्रतिवादी नं0 1 विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से द कर डिग्री किए जाने का निवेदन किया गया है ।

प्रतिदावा प्रस्तुत होने पर वकील वादी की ओर से दिनांक 24.2.2014 को ाबूल जवाब पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी गला को डाईया का गोद पूत्र होना स्विकार किया जाकर प्रतिवादी गला का वादीगण के पिता की सम्पत्ति पर किसी कार से कोई हिस्सा ,कब्जा एंव अधिकार नही होना बताते हुए वादीगण का दावा डिग्री किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वाद,जवाबदावा ,प्रतिदावा एवं जवाबूल जवाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :–

तनकी संख्या 1–

आया डाईया के कोई पूत्र सन्तान नही है ,केवल वादीगण तीन पूत्रियां ही है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भेमजी की सन्तान है उनका नाम खाते में गलत दर्ज हुआ है अतः वाद के कलम संख्या 2 में समस्त आराजीयात में से 1/3हिस्से में प्रतिवादी संख 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण एवं शेष 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 3 व शेष 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का नाम इन्द्राज दुरूस्त करवाने के अधिकारी है ? (वादी)

तनकी संख्या 2–

आया वाद के कॉलम 2 में अंकित भूमि डायालाल,लखमा व भेमजी की स्व–अर्जित सम्पत्ति है ।डायालाल की समस्त सम्पत्ति दत्तक दूत्र गला की रहेगी ।डाईया की सम्पत्ति पर प्रतिवादी नं1 का पचास वर्षो से कब्जा काश्त है।वादीगण की कोई उजरदारी नही है ? (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 3–

आया वर्तमान जमाबन्दी रेकार्ड में प्रतिवादी 1,2,3 के नाम दर्ज है वह सही है ? (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 4–

दादरसी ?

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार वाद बिन्दु का निर्धारण किया जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ हुई । वकील वादी ने कनक पत्नी नाथू अहारी का बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया ,वकील प्रतिवादी ने जिरह की । वकील वादी को ओर साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए जाने पर भी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्य वादी बन्द कर साक्ष्य प्रतिवादी प्रारम्भ की गई । वकील प्रतिवादी ने गवाह गला एवं पनी के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं कई अवसर प्रदान किए जाने पर भी ओर साक्ष्य प्रस्तुत नही किए जाने से साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कर अभिभाषकगण की अन्तिम बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए डाईया के कोई पुत्र सन्तान नही होना , गलत तथ्यों के आधार पर 1/3 –1/3 पर काबिज हो नाम दर्ज करा देना , डाईया के तीन पूत्रियां होना तथा एक बदी फौत होना बताते हुए पिता की सम्पत्ति में हक दिलवाया जाने का निवेदन किया गया ।वकील वादी ने प्रदर्श–1 जो कि जमाबन्दी संवत 2065–68 खाता संख्या 20 मोजा गडा झूमजी की है , की ओर आकर्षित करते हुए बताया कि इसमें खातेदार के स्थान पर गला ,पना ,भेमजी 1/3–1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज रेकार्ड है।वकील वादी ने प्रतिदावे के जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादी गला ने अपने आप को डाईया का गोद पुत्र होना बताया है जो सरासर गलत है ,गोदनामे की लिखावट जो बही में की है उसकी जानकारी नही होना तथा लिखावट में हस्ताक्षर नही होना बताया । बहस में आगे बताया कि प्रतिवादी गला का वादीगण के पिता की सम्पत्ति में न तो कोई हिस्सा है न ही कोई कब्जा व अधिकार है । वकील वादी ने बहस के अन्त में वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा ,प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा ओर प्रतिवादी संख्या 3 भेमजी का 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ है जो गलत है । भेमजी के पूत्र प्रतिवादी संख्या 1 गला व प्रतिवादी संख्या 2 पना है एंव एक अन्य पूत्र भेमजी का हाजा है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 श्री भेमजी की सन्तान होने से उनका खाते में से नाम हटवाया जाना न्याय संगत होना बताते हुए वादीगण का वाद सव्यय खारीज किए जाने एवं प्रतिवाद बहक प्रतिवादी नं0 1 विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर डिग्री किए जाने का निवेदन किया जाकर बहस समाप्त की ।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के जवाब एंव प्रतिदावा के तथ्यों को दोहराते हुए दिनांक 10.5.1963 को चतरपुरा गाव के समाज के समस्त पंच के रूबरू प्रतिवादी नं01 गला को डायालाल ने गोद पूत्र रखा जिसकी लिखावट बही में की गई है एंव डायालाल उर्फ डाईया ने अपनी सम्पत्ति को प्रतिवादी नं01 को देने का कारण लिखावट बही में कर दी है । प्रतिवादी नं01

Scanned by CamScanner

यालाल उर्फ डाईया के वहां पर करीब 40 वर्ष पूर्व गोद के रूप में रहने से
रेक पिता की सम्पत्ति को हमेशा के लिए त्याग दिया है तथा जाति रिवाज के
गर डायालाल के पूत्र के रूप में होने से 1/3 हिस्सें पर रेकार्ड में दर्ज हुआ
कील प्रतिवादी ने बहस में बताया है कि वादी संख्या 1 द्वारा तनकी संख्या 1
साबित करने के लिये कोई दस्तावेज पेश नही किया है तथा दिनांक 10.5.1963
डाया ने गला को समाज के रूबरू गला को गोद लिया है जिसकी लिखावट
मे की है । वकील प्रतिवादी ने यह भी बताया है कि वादीगण शादी के पश्चात
नी अपनी ससूराल में रह रही है कभी भी पिहर नही आई तथा डाईया की सेवा
करी ,मरणोपरान्त किया आदि सभी प्रतिवादी गला द्वारा किया गया है तथा गोद
ने के बाद से निरन्तर डाया के हिस्से की सम्पत्ति पर काबिज हो कर
कटोक काश्त कर रहा है । वकील प्रतिवादी ने वादी का वाद सव्यय खारिज
ते हुए प्रतिदावा डिकी किए जाने का निवेदन किया जाकर बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर
नन किया , तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :—

तनकी संख्या 1—

आया डाईया के कोई पूत्र सन्तान नही है ,केवल वादीगण तीन पूत्रियां ही है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भेमजी की सन्तान है उनका नाम खाते में गलत दर्ज हुआ है अतः वाद के कलम संख्या 2 में समस्त आराजीयात में से 1/3हिस्से में प्रतिवादी संखया 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण एवं शेष 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 3 व शेष 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का नाम इन्द्राज दुरूस्त करवाने के अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है । वादीगण द्वारा वाद पत्र अपने अपने बयान में स्वयं ने यह तो स्विकार किया है कि डाईया के कोई पूत्र सन्तान नही है । प्रतिवादी स्वयं ने भी इस बात को स्विकार करते हुए डाईया के कोई पूत्र सन्तान नही होने एवं तीनो पूत्रियां वादीगण की शादी हो जाने के बाद अपने अपने ससूराल में रहने से डाईया द्वारा प्रतिवादी गला को समाज के रूबरू गोद लिया है ।वादी की ओर से प्रस्तुत गवाह कनक ने जिरह में इस बात को स्वीकार किया है कि तीनो बहने शादी के बाद कभी उनके पिता के घर यानि कि पिहर नही गये एवं पिता का दाह संस्कार किसने किया यह भी उनकी जानकारी में नही है ।गवाह कनक ने यह भी बताया है कि उनके पिता की कृषि भूमि पर प्रतिवादी गला ही कृषि कर रहा है जो करीब 35 वर्ष पूर्व से करता आ रहा है,वर्तमान में गला ही कृषि काश्त कर रहा है । उक्त विवेचन अनुसार डाईया के कोई पूत्र सन्तान नही होना ,वादीगण तीनो पूत्रियां शादी के बाद पिता के घर पर नही आना एंव गला को डाईया द्वारा गोद लेने के बाद से डाईया की सम्पत्ति पर

Scanned by CamScanner

काबिज होना प्रमाणित होने से यह तनकी वादीगण के विरूद्ध एवं
ादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

ी संख्या 2–
आया वाद के कॉलम 2 में अंकित भूमि डायालाल,लखमा व भेगजी की स्व–
अर्जित सम्पत्ति है ।डायालाल की समस्त सम्पत्ति दत्तक दूत्र गला की
रहेगी ।डाईया की सम्पत्ति पर प्रतिवादी नं1 का पचास वर्षो से कब्जा काश्त
है ।वादीगण की कोई उजरदारी नही है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । खतोनी संवत
22 में वादग्रस्त आराजीयात डाईया,लखमा,भीमजी के नाम दर्ज रेकार्ड है ।डाईया
लखमा फौत हो जाने से जमाबन्दी संवत 2061–64 में भी वादग्रस्त आराजीयात
ला पिता डाईया 1/3,पना पिता लखमा 1/3,भेमजी पिता उदा 1/3 दर्ज रेकार्ड
।प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत बही लिखावट प्रदर्श–डी 1 ए जो पंचों के रूबरू
लखा गया है में भी डाईया द्धारा कोई पूत्र सन्तान नही होने से गला को गोद
लया जाना लिखा जाकर डाईया फौत होने के बाद से डाईया की समस्त चल
।चल सम्पत्ति पर गला का हक रहेगा एवं डायालाल की पूत्रियों की कोई
उजरदारी नही होगी बाबत लिखावट की गई है। प्रतिवादी उक्त गोदनामा लिखावट
के आधार पर डाईया की सम्पत्ति पर काबिज है एवं डाईया के फौत होने के बाद
से निरन्तर काबिज हो काश्त करता आ रहा है ।अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी
विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3–
आया वर्तमान जमाबन्दी रेकार्ड में प्रतिवादी 1,2,3 के नाम दर्ज है वह सही
है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है । वाद पत्र की
कलम संख्या 1 मे वर्णित पेढीनामा के अनुसार मूल व्यक्ति उदा था , उदा के तीन
पूत्र डाईया ,लखमा एंव भेमजी थे । वादीगण डाईया की पूत्रियां है ।प्रतिवादी संख्या
1 गला भेमजी जो कि डाईया का भाई है ,का पूत्र यानि कि डाईया का भतिजा
है ।पेढीनामा के अनुसार डाईया के कोई पूत्र सन्तान नही होने से डाईया द्धारा गला
को गोद लेने से डाईया की सम्पत्ति पर भेमजी का पूत्र गला काबिज हुआ है
।वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज नाम सही है । अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध
वादी निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त विवेचन से तनकी संख्या 1,2,3 बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादीगण
निर्णित होने से वादी का वाद खारीज एंव प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया
जाकर वादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि

Scanned by CamScanner

ण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/3 भाग पर उपयोग व उपभो ग व खेती
सी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करें न ही अन्य से करावें ।
डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।
निर्णय आज दिनांक..... को खूले न्यायालय में सुनाया
। पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(राजीव द्विवेदी)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

,डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(आ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत –– उपखण्ड अधिकारी मुकाम – सागवाड़ा

बईजलास – श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा

ती वदी पत्नि भेमजी निवासी वनाम श्री गला पिता भेमजी मीणा निवासी

लालसिंह वगैरा चतरपुरा वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 125 सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट एवं धारा 53 8,209राज0टि0एक्ट वावत इन्द्राज दुरूस्ती करने ,बंटवारा करने एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – 71/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कराई रूवरू श्री राजीव द्विवेदी आर0ए0एस0 जानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादी ज एवं प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर वादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/3 भाग पर ग व उपभोग व खेती में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नही करें न ही अन्य से करावे। ....मुवलिग..वावत .... इस मुकद्मे के मय सूद व शहर ....फीसदी आज तारीख से व ववसूलयावी तक .... का अदा करे । मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख03..मास02सन् 2021को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

...र्ई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
...टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालतनामा		
...कालतनामा			स्टाम्प अरजी		
...टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
...र्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
...ीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
...वत ईजराय हुक्मनामा			वावत ईजराय हुक्मनामा		
मीजान			मुतफरिक		
			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner